पुस्तकालय

181
21/3/2001

असंशोधित

25 MAR 2001

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग १—कार्यवाही—प्रश्नोत्तर)

तारांकित प्रश्न संख्या- 722

श्री शकुनी चौधरी [मंत्री]- खंड-1 उत्तर स्वीकारात्मक है।

खंड- 2 सिविल सर्जन, गया के पत्रांक 3610 दिनांक 11-11-99 के द्वारा डा० आरेन्द्र कुमार अमन से स्पष्टीकरण पूछा गया था जिसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। सिविल सर्जन एवं जिलाधिकारी, गया के अनुशंसा के आलोक में उन्हें ज्ञापांक 1116[18 दिनांक 17-12-2000 के द्वारा निलंबित किया गया है।

खंड- 3 उत्तर स्वीकारात्मक है।

खंड-4 सिविल सर्जन, गया के आरोप पत्र गठित करने हेतु स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक 125[3] दिनांक 26.2.2001 के द्वारा मांग की गयी है। विभागीय कार्रवाही के फलाफल पर सरकार निलंबन से मुक्ति के संबंध में यथोचित निर्णय लेगी ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 723

श्री श्याम रजक [राज्यमंत्री]- :- अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला के बहेड़ी प्रखंड मुख्यालय में विद्युत उप केन्द्र का निर्माण की योजना स्वीकृत नहीं है। पावर सब-स्टेशन के लिए भूमि का हस्तांतरण बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को नहीं किया गया है।

श्री रामानन्द सिंह-अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र में सरकार ने स्वीकार किया था कि भूमि का अधिग्रहण हो चुका है। जमीन अधिगृहित है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इसकी जांच कराई जाये ।'

श्री श्याम रजक [राज्यमंत्री]- अध्यक्ष महोदय, जमीन का हस्तांतरण नहीं हुआ है। पावर सब-स्टेशन के लिए भूमि का हस्तांतरण बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को नहीं किया गया है।

अध्यक्ष - मानानीय सदस्य, भूमि अर्जित है लेकिन वह बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को ट्रांसफर नहीं हुआ है। उस दिशा में कार्रवाई कीजिये मंत्री जी ।

श्री नरेन्द्र सिंह - जमीन एक्वायर है तो वह ट्रांसफर करना सरकार को है तो सरकार कबतक इस काम को करेगी ?

अध्यक्ष- हमने इसी बात को निर्देशित किया है।

श्री श्याम रजक [राज्यमंत्री]- महोदय, मैंने अपने जवाब के क्रम में कहा है कि दरभंगा जिला के बहेड़ी प्रखंड मुख्यालय में विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण की योजना स्वीकृत नहीं है। माननीय सदस्य का प्रश्न है कि उक्त योजना विगत दस वर्ष पूर्व सरकार द्वारा स्वीकृत है। लेकिन मेरा कहना है कि योजना ही नहीं स्वीकृत है।

श्री नरेन्द्र सिंह- महोदय, माननीय सदस्य और माननीय मंत्री दोनों में से किसी को पूरी जानकारी नहीं है। कहीं-न-कहीं कोई बात छिपा रहे हैं। प्रखंड मुख्यालय में योजना दस वर्ष पूर्व से स्वीकृत है और अगर योजना स्वीकृत नहीं है तो मान लेते हैं, फिर भी प्रखंड मुख्यालय में सब-ग्रीड स्टेशन बनना चाहिए। तो क्या सरकार वहां नया सब ग्रीड स्टेशन बनाने की योजना पर विचार कर रही है ?

श्री श्याम रजक [राज्यमंत्री]- महोदय, योजना ही स्वीकृत नही है।

श्री राम सेवक हजारी- महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि विद्युत सब-स्टेशन के लिए भूमि का अधिग्रहण कैसे किया?

अध्यक्ष - मंत्री जी कह रहे हैं कि योजना ही स्वीकृत नहीं है। इसको देख लेंगे।